



# समाहरणालय, पटना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा  
समाहरणालय भवन रूम सं० 201, गाँधी मैदान।

E-mail - dwo-patbih@nic.in



पत्रांक:- 273 दिनांक:- 16 / 4 / 2026

प्रेषक,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा  
वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- नामंकन संबंधित सूचना के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना जिला अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, कंकडबाग, पटना में रिक्ति के विरुद्ध नामंकन हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना है। नामांकन प्रकाशन से संबंधित प्रारूप संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि छात्रावास में नामांकन संबंधी सूचना को मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा  
वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक:- 273 दिनांक:- 16 / 4 / 2026

प्रतिलिपि:-

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा  
वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना

**पटना समाहरणालय,पटना**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा**  
**नामांकन सूचना**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठुकर, छात्रावास कंकडबाग, पटना में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन हेतु आवासन क्षमता एवं रिक्तियों की विवरणी निम्नवत है:-

क्र0	छात्रावास का नाम	कोटि	आवासन क्षमता	कुल रिक्ति	अति पिछड़ा वर्ग छात्र
1	जननायक कर्पूरी ठुकर, छात्रावास	अति पिछड़ा वर्ग	100	30	25

- नोट:- छात्रावास में 05 प्रतिशत आसन अति पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन छात्रों के लिए आरक्षित रहेगा।
- विभागीय वेबसाइट (<https://bcebconline.bihar.gov.in>) पर ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भने से संबंधित तिथि एवं अन्य निदेश निम्नांकित है:-

1	ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि	20.04.2026
2	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	05.05.2026

➤ नामांकन की शर्त:-

1. चयन प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार (जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन मार्गदर्शिका-2022) होगा।
2. आवेदक अति पिछड़ा वर्ग के छात्र होंगे।
3. छात्र को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
4. पटना जिला में स्थित छात्रावास में आवासन के लिए छात्र किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हो।
5. अर्हता प्राप्त आवेदनों में गत वर्ष परीक्षा में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. छात्रों का आवेदन केवल ई-कल्याण पोर्टल से ही मान्य होगा। वांछित कागजात ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी:-

- I. आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर।
- II. RTPS नम्बर युक्त जाति प्रमाण-पत्र।
- III. RTPS नम्बर युक्त निवास प्रमाण-पत्र।
- IV. RTPS नम्बर युक्त आय प्रमाण-पत्र।
- V. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र।
- VI. पटना स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन का साक्ष्य।
- VII. आधार कार्ड की प्रति।
- VIII. विगत परीक्षा के अंक-पत्र की प्रति।
- IX. बैंक पासबुक की छायाप्रति(खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सहित)।
- X. चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।

आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नामांकन रद्द करने का अधिकार नामांकन समिति का होगा।

*(Signature)*  
 जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा  
 वर्ग कल्याण पदाधिकारी,पटना।  
 13/4/26

*(Signature)*  
 उप विकास आयुक्त,  
 पटना।  
 15.4.26